### न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड, म०प्र० (समक्ष:- सतीश कुमार गुप्ता)

सत्र प्रकरण कं0 235/2016 संस्थापन दिनांक18.07.2016

> मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

अभियोगी

### ।। <u>विरूद्</u>या

बंटी उर्फ देशराज जाटव पुत्र रामप्रसाद जाटव आयु 22 वर्ष निवासी सुमेर कॉलोनी भिण्ड रोड गोहद चौराहा अभियुक्त थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म0प्र0)

WIND A STREET म०प्र० राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ।

> अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज की ओर से श्री गंभीर सिंह निगम अभिभाषक।

> यह सत्र प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0 333/16 में पारित उपार्पण आदेश दिनॉक 04.07.16 से उद्भूत।

# <u>// निर्णय//</u>

# (आज दिनांक 29.01.2018 को घोषित)

प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किये जाने का भी आरोप है, ऐसी नोटः-स्थिति में निर्णय में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम ॲग्रेजी अक्षर के सहयोग से अर्थात् अभियोक्त्री ''एम'' लिखा जा रहा है ।

अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366, 376(2)(च) व 506-बी भारतीय दण्ड संहिता के 01. अंतर्गत इस आशय के आरोप हैं कि उसने दिनांक 02.02.16 को सुबह करीब 7 बजे, रॉक्सी टॉकीज के पास ग्वालियर में अभियोक्त्री-एम का व्यपहरण/अपहरण, अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जायेगा, किया तथा उक्त दिनांक को सुबह करीब 7 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य किसी समय अभियोक्त्री-एम, जो कि एक स्त्री है, के नातेदार होते ह्ये, उसके साथ बलात्संग किया

2

तथा अभियोक्त्री—एम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.02.16 को थाना 02. जनकगंज जिला ग्वालियर में अपनी बड़ी बहन मीनू एवं मां दीपमाला के साथ उपस्थित होकर अभियोक्त्री-एम द्वारा इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की गई कि वह ग्वालियर में घटना दिनांक 02.02.16 की सुबह करीब 7 बजे रोज की तरह पढ़ने के लिये रॉक्सी टॉकीज के पास कोचिंग जा रही थी, तभी रॉक्सी टॉकीज के पास ग्वालियर में उसकी बड़ी मौसी की लड़की का देवर अर्थात् अभियुक्त बंटी स्विफ्ट कार कमांक एच0आर0 26 बीएच 9406 सहित खड़ा हुआ मिला और उसने उससे कहा कि उसकी अर्थात अभियोक्त्री की दीदी अपने घर गोहद बुला रही है तो बहुत मना करने के बाद भी अभियुक्त उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर दीदी के घर नहीं ले जाते हुये अपने सूने घर में ले जाकर पानी पिलाया तो उसे नशा सा होने लगा और उसके बाद उसने जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। तत्पश्चात् होश आने पर वह रोने लगी, तो अभियुक्त बंटी ने उसे एवं उसके परिवार को जान से खत्म कर देने की धमकी देते हुये अपनी कार से शाम करीब 4 बजे उसे डी0डी0 नगर पर उतारकर भाग गया। घर पहुंचने पर डर की वजह से किसी को घटना के बारे में नहीं बताया और फिर सुबह बाद में उसने दीदी मीनू और अपनी मां को घटना बताई। उक्त लिखित रिपोर्ट पर से थाना जनकगंज जिला ग्वालियर में अभियुक्त बंटी के विरूद्ध धारा 376-च व 506 भा0दं०सं० के अंतर्गत अपराध क्रमांक 0 / 16 पर प्र0पी0-2 के अनुसार अपराध पंजीबद्ध किया जाकर, अभियोक्त्री–एम का मेडीकल परीक्षण प्र0पी0–9 लगायत प्र0पी0–14 के अनुसार कराया गया एवं अस्पताल से प्राप्त सामग्री एक सीलबंद कपड़े की पोटरी, प्यूबिक हेयर, इनवेंटिक स्वाव व वैजाईनल स्वाव से संबंधित सीलबंद पैकेट, बैजनाईनल स्लाईड का सीलबंद पैकेट को प्र0पी0—15 अनुसार जप्त किया गया तथा अभियोक्त्री-एम के धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत ग्वालियर में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन लेखबद्ध कराये गये। तदोपरांत असल कायमी आरक्षी केंद्र गोहद में अपराध क्रमांक 70 / 16 प्र0पी0-17 पर की गई।
- 03. उक्त अपराध की विवेचना के अनुकम में दिनांक 14.05.16 को प्र0पी0—19 अनुसार अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त दिनांक को ही स्विफ्ट कार कमांक एच.आर. 26 बीएच 9406 को प्र0पी0—18 अनुसार जप्त किया गया। दिनांक 15.05.16 को अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज का प्र0पी0—15 अनुसार मेडीकल परीक्षण कराया गया व उक्त दिनांक को ही प्र0पी0—15 अनुसार सीलबंद स्लाईड सहित सील नमूना को जप्त किया गया तथा दिनांक 18.03.16 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0—3 अनुसार तैयार किया गया एवं उक्त दिनांक को ही



अभियोक्त्री—एम, दीपमाला व ओमप्रकाश के क्रमशः प्र0पी0—5, प्र0पी0—6 व प्र0पी0—8 अनुसार एवं दिनांक 30.05.16 को साक्षी श्रीमती मीनू का प्र0पी0—7 अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये। जप्तशुदा प्रदर्शों ए,बी,सी तथा डी के संबंध में संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायायिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर को द्धाफ्ट भेजे जाने पर वहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्र0पी0—20 प्राप्त हुआ। विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 366—ए का इजाफा करते हुये अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376, 506 व 366—ए भावदंवसंव के अंतर्गत अभियोग पत्र कमिटल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से उक्त प्रकरण उपार्पित किया जाकर माननीय सत्र न्यायालय भिण्ड के आदेशानुसार विधिवत विचारण व निराकरण हेतु यह सत्र प्रकरण इस न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त हुआ।

04. प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366, 376 (2)(च) व 506—बी का अपराध घटित किये जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध घटित करना अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा। अभियोजन की ओर से अपने मामले को प्रमाणित करने के लिये साक्षी अभियोक्त्री—एम अ०सा0—1, दीपमाला अ०सा0—2, मीनू अ०सा0—3, ओमप्रकाश अ०सा0—4, डॉ० नीलम राजपूत अ०सा0—5, डॉ० धीरज गुप्ता अ०सा0—6, शंकर सिंह अ०सा0—7, देवीदयाल अ०सा0—8, कमलेश दोहर अ०सा0—9, गिरजा सेंगर अ०सा0—10, राजेश बंजारे अ०सा0—11 का परीक्षण कराया गया। तत्पश्चात अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने अपने—आप को निर्दोष होना तथा झूटा फॅसाया जाना ब्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

# 05. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:--

- 01. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 02.02.16 को सुबह करीब 7 बजे, रॉक्सी टॉकीज के पास ग्वालियर में अभियोक्त्री—एम का व्यपहरण/अपहरण, अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जायेगा, किया ?
- 02. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक को सुबह करीब 7 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य किसी समय अभियोक्त्री—एम, जो कि एक स्त्री है, के नातेदार होते हुये, उसके साथ बलात्संग किया ?
- 03. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री—एम को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 04. दण्डादेश यदि कोई हो तो ?



#### ।। साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष ।।

### विचारणीय प्रश्न कमांक-03

जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के 06. संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि दिनांक 04.02.16 को थाना जनकगंज में रिपोर्ट लेखक प्रधान आरक्षक कमलेश दोहरे अ0सा0–9 का अपने कथनों में कहना है कि अभियोक्त्री–एम ने अपनी मां के साथ थाना जयेंद्रगंज में उपस्थित होकर अभियुक्त के विरूद्ध जान से खत्म करने की धौंस दिये जाने के संबंध में लिखित रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उक्त साक्षी मामले में मात्र रिपोर्ट लेखक है और घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है तथा मामले में स्वयं अभियोक्त्री–एम अ०सा०–1 का ही अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि अभियुक्त ने घटना के समय व स्थान पर उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी तथा घटना से संबंधित अन्य साक्षीगण दीपमाला अ०सा०–2, मीनू अ०सा०–3, ओमप्रकाश अ०सा०–4 ने भी उक्त संबंध में न्यायालयीन कथन में कुछ भी प्रकट नहीं किया है और वैसे भी उक्त तीनों साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण न होकर अनुश्रुत श्रेणी के साक्षी हैं एवं अन्य सभी साक्षीगण मेडीकल विशेषज्ञगण डॉं० धीरज गुप्ता अ०सा०–६ व डॉं० नीलम राजपूत अ०सा०–५, जप्तीकर्तागण एस०आई० शंकर सिंह अ०सा०–७ व प्रधान आरक्षक देवीदयाल अ०सा०–८ एवं जप्ती के साक्षी महिला आरक्षक गिरजा सेंगर अ०सा–10 व विवेचक राजेश बंजारे अ०सा०–11 औपचारिक स्वरूप के साक्षी हैं। अतः अभिलेख पर साक्ष्य का अभाव होने से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना के समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से अभियोक्त्री-एम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। तदनुसार विचारणीय प्रश्न कमांक 3 प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एवं 02

- **07.** अभिलेखगत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये विवेचन में तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त दोनों परस्पर संबंधित विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 08. जहां तक उक्त विचारणीय प्रश्नों का संबंध है, अभिलेखगत साक्ष्य सिहत प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि दिनांक 04.02.16 को थाना जनकगंज में पदस्थ रहते हुये रिपोर्ट लेखक प्रधान आरक्षक कमलेश दोहरे अ०सा०–9 ने अपने कथनों में प्रकट किया है कि अभियोक्त्री–एम ने अपनी मां के साथ थाना जयेंद्रगंज में उपस्थित होकर अभियुक्त के विरुद्ध प्र0पी0–1 का लिखित आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया था कि कोचिंग



क्लास से लौटते समय रॉक्सी टॉकीज के पास से अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज उसे ले गया था एवं गोहद के खाली मकान में ले जाकर नशे में उसके साथ बलात्कार किया था और उसके पश्चात् उसे डी०डी० नगर में उतार दिया था, जिस पर से उसने थाना जयेंद्रगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-2 लेखबद्ध की थी, जिस पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, लेकिन उक्त साक्षी मामले में मात्र रिपोर्ट लेखक है और घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है तथा मामले में स्वयं अभियोक्त्री—एम अ०सा0—1 का ही अपने न्यायालयीन कथनों में ऐसा कदापि कहना नहीं है कि उसे अभियुक्त घटना के समय व स्थान पर से जबरदस्ती या प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा अपने खाली मकान में गोहद ले गया था और नशा कराते हुये उसके साथ बलात्कार किया था, बल्कि अभियोक्त्री—एम का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त बंटी, जो कि उसकी दीदी का देवर होकर उसका करीबी नातेदार है, उसे कोचिंग के पास खड़ा मिला और उससे बोला कि उसकी दीदी बुला रही हैं तो वह कार से उसके साथ दीदी के घर गोहद चौराहा चली गई थी और फिर शाम को चार बजे अभियुक्त बंटी ने उसे उसकी दीदी के घर से नई सडक ग्वालियर में छोड़ दिया था।

- 09. इसी प्रकार अभियोक्त्री—एम की माँ दीपमाला अ०सा०—2, बड़ी बहन मीनू अ०सा०—3 एवं जीजाजी ओमप्रकाश अ०सा०—4 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में प्रश्नगत घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री—एम के साथ अपहरण व बलात्कार की घटना किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकटन नहीं किया है, बल्कि अभियोक्त्री—एम की मां दीपमाला अ०सा०—2 का अपने न्यायालयीन कथनों में मात्र यही कहना है कि उसकी पुत्री अभियोक्त्री—एम रॉक्सी पुल पर कोचिंग पढ़ने गई थी और साढ़े दस—ग्यारह बजे तक वह घर पर नहीं आयी तो काफी तलाश किया था और उसके बाद उसकी बच्ची करीब चार बजे घर लौटकर आयी थी तो पूछने पर उसने बताया था कि वह अपनी सहेली के साथ बाड़े चली गई थी।
- 10. इसी प्रकार अभियोक्त्री—एम की बहन मीनू अ0सा0—3 ने अपने न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसकी छोटी बहन अभियोक्त्री—एम प्रतिदिन की तरह कोचिंग के लिये रॉक्सी पुल के पास कोचिंग पढ़ने सुबह जाती थी और 11—11:30 बजे आ जाती थी वह उस दिन 12 बजे तक घर वापस नहीं आयी थी तो फिर उसकी तलाश की थी और वह करीब साढ़े चार बजे वह वापस आयी तो उसने बताया कि गोहद में निवासरत दीदी पुष्पा ने उसे बुला लिया था तो वह पुष्पा दीदी के देवर बंटी के साथ गाड़ी में बैठकर गोहद चली गई थी तथा अभियोक्त्री—एम के जीजा ओमप्रकाश अ0सा0—4 का भी अपने कथनों में कहना है कि उसकी साली अभियोक्त्री—एम प्रतिदिन की तरह कोचिंग के लिये रॉक्सी पुल के पास कोचिंग में पढ़ने सुबह जाती थी और 11—11:30 बजे आ जाती थी। वह उस दिन 12 बजे तक घर वापस नहीं आयी थी, फिर उसके बारे में पता लगाया और परिचित लोगों को फोन

लगाया तो उसका चार बजे तक पता नहीं लगा था और फिर वह पांच बजे वापस आई थी। इसके अलावा और कुछ भी प्रकट नहीं किया है।

- 11. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा उक्त सभी साक्षीगण से विस्तृत सूचक प्रश्न पूंछे जाने पर उनके कथनों में ऐसी कोई भी बात अभिलेख पर नहीं आई है, जो कि विचारणीय प्रश्नों के पिरप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन के मामले को बल प्रदान करती हो, बिल्क विचारणीय अपराध से संबंधित अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गये समस्त सुझावों को उक्त चारों साक्षीगण ने दृढतापूर्वक गलत होना बताते हुये पुलिस को प्रकरण में संलग्न अनुसार पुलिस कथन कमशः प्र0पी0—5, प्र0पी0—6, प्र0पी0—7 व प्र0पी0—8 के अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है तथा अभियोक्त्री—एम ने प्रकरण में संलग्न धारा 164 दं0प्र0सं0 में लिखे अनुसार कथन दिये जाने एवं लिखित आवेदन पत्र प्र0पी0—1 में लिखे अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध विचारणीय अपराध के संबंध में रिपोर्ट किये जाने से इंकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अभियुक्त बंटी के परिवारजन एवं अभियोक्त्री—एम के परिवारजन आपस में नजदीकी रिश्तेदार है, इस कारण से उनका आपस में आना जाना रहता है एवं अभियुक्त ने अभियोक्त्री—एम के साथ कोई आपराधिक घटना कारित नहीं होना बताया है।
- जहाँ तक धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, यद्यपि अभियोक्त्री-एम के द्वारा 12. धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन में अभियुक्त के द्वारा ही उसके साथ घटना कारित करने के संबंध में बताया है, किन्तु इस संबंध में **बैजनाथशाह विरूद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते है वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह है और उस कथन को करने वाले व्यक्ति के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेत् उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता तथा यही विधिक स्थिति प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में होकर वह सारवान प्रकृति की साक्ष्य नहीं है एवं अभिलेख पर विचारणीय अपराध के संबंध में मूल साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 164 दं०प्र०सं० के कथनों में अभियुक्त का नाम आने तथा अभियुक्त द्वारा अपहरण व बलात्कार की घटना कारित किये जाने के संबंध में बताये जाने मात्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। इसी प्रकार मामले में प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0—20 के अवलोकन से पाया जाता है कि रिपोर्ट में अंकित अनुसार प्रदर्श ए–1,ए–2,बी–2,बी–3,सी तथा डी वीर्य के धब्बे एवं मानव शुक्राणु पाया जाना बताया है, लेकिन उक्त रिपोर्ट में जहाँ एक ओर ऐसा उल्लेख नहीं है कि उक्त शुकाणु अभियुक्त बंटी के हैं और अभियुक्त बंटी

के विरूद्ध अभिलेख पर विचारणीय अपराध के संबंध में मूल साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में उक्त रिपोर्ट प्र0पी0—20 का भी कोई लाभ अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

- मामले में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री-एम ने अपने न्यायालयीन कथनों में 13. मजिस्ट्रेट के समक्ष ग्वालियर में धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन दिया जाना बताया है तथा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत दिये गये कथनों के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें अभियोक्त्री-एम के द्वारा शपथ पर दिये गये उक्त कथनों में अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज के द्वारा ही उसके साथ अपहरण व बलात्कार की घटना किये जाने के संबंध में कथन दिये गये है, जबिक अभियोक्त्री-एम ने इस न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये अपने न्यायालयीन कथनों में घटना के समय व स्थान पर अभियुक्त द्वारा उसके साथ अपहरण व बलात्संग का अपराध घटित किये जाने के संबंध में कुछ भी प्रकट नहीं करते हुये अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई घटना घटित नहीं करना बताया है और धारा 164 दं०प्र0सं० के अंतर्गत लेखबद्ध किये गये कथनों में लिखे अनुसार कथन दिये जाने से इंकार किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री-एम के द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही में शपथ पर या तो ग्वालियर में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कथन दिये जाते समय असत्य प्रकटन किया है या फिर इस न्यायालय के समक्ष शपथ पर दिये गये न्यायालयीन कथनों में असत्य प्रकटन किया है। अतः अभियोक्त्री-एम द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही में मिथ्या साक्ष्य दिया जाना प्रकट होने से उक्त संबंध में दाण्डिक कार्यवाही प्रचलित किये जाने हेत् अभियोक्त्री-एम के विरूद्ध सक्षम न्यायालय की ओर विधिवत लिखित परिवाद पत्र तैयार कर भेजा जावे और उसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित निर्णय की प्रति संलग्न की जावे। तद्नुसार अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 340 दं०प्र०सं० निराकृत किया जाता है।
- 14. मामले में शेष सभी साक्षीगण अर्थात् मेडीकल विशेषज्ञगण डाॅo धीरज गुप्ता अ०सा०—6 व डाॅo नीलम राजपूत अ०सा०—5, जप्तीकर्तागण एस०आई० शंकर सिंह अ०सा०—7 व प्रधान आरक्षक देवीदयाल अ०सा०—8 एवं जप्ती के साक्षी महिला आरक्षक गिरजा सेंगर अ०सा—10 व विवेचक राजेश बंजारे अ०सा०—11 औपचारिक स्वरूप के साक्षी हैं तथा अभिलेख पर उक्त विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में मूल साक्ष्य का अभाव है। ऐसी स्थिति में उक्त औपचारिक साक्षीगण के कथनों की विषद विवेचना किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, क्योंकि उक्त औपचारिक साक्षीगण के कथन मात्र के आधार पर विचारणीय अपराधों के संबंध में अभियुक्त की दोषसिद्धी सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- 15. अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अभिलेख पर विचारणीय प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि

अभियुक्त ने दिनांक 02.02.16 को सुबह करीब 7 बजे, सॅक्सी टॉकीज के पास ग्वालियर में अभियोक्त्री—एम का व्यपहरण/अपहरण, अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुये कि अयुक्त संभोग करने के लिये उसे विवश या विलुब्ध किया जायेगा, किया तथा उक्त दिनांक को सुबह करीब 7 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य किसी समय अभियोक्त्री—एम, जो कि एक स्त्री है, के नातेदार होते हुये, उसके साथ बलात्संग किया। तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं।

#### विचारणीय प्रश्न कमांक-4

- 16. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन एवं विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 3 के निराकरण के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन अपना यह मामला महत्वपूर्ण साक्ष्य से प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त बंटी उर्फ देशराज को धारा 366, 376 (2)(च) व 506—बी भाठदंठसंठ के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 17. अभियुक्त के जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।
- 18. प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किये जायें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 19. अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।
- 20. निर्णयानुसार अभियोक्त्री—एम के विरुद्ध सक्षम न्यायालय की ओर विधिवत लिखित परिवाद पत्र तैयार कर भेजा जावे और उसके साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित निर्णय की प्रति संलग्न की जावे।
- 21. निर्णय की प्रति धारा 365 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड ALIMANA PARETO